कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

सेवा में, पत्रांक 1017 / 13- मिसलिग दिनांक 12-10 2015 ।

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊं वृत्त उत्तराखण्ड नैनीताल ।

विषय:- देवीपुरा सौड़ तथा घुघुखान सौड़ मध्य निर्माण मोटर मार्ग FP/UK/ROAD/ 9093 /2015 ।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून का E.D.S दिनांक 28-9-2015 । आपका ऑन लाईन ई0डी0एस0 पत्रांक 667 / 13-1 दिनांक 29-9-2015 अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल का ऑन लाईन ई0डी0एस0 पत्रांक 1900 / 29एन0सी0 दिनांक 9-10-2015 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा मांगी गई बिन्दुवार आख्या लो0नि0वि0 द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित की गई -

1-FRA Certificate जिला स्तरीय समिति की कार्यवाही संलग्नक कर पुनः अपलोड कर दिया गया है ।

2- डिजिटल मैप में जिओकोर्डिनेट्स चार स्थानों पर अंकित कर दिये गये हैं ।

3- घुघुखान सौड़ एंव देवीपुरा सौड़ दोनों मार्गों एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग को प्रदर्शित करता हुआ एक संशोधित मैप अपलोड कर दिया गया है।

4- मार्ग निर्माण हेतु पूरी लम्बाई में 9 मीटर चौड़ाई की भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गई है । मात्र किरोजल पक्का मार्ग का निर्माण आंशिक रूप से कटिंग तथा फिलिंग करके किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

5-प्रस्तावित मार्ग में कुल 34 वृक्ष प्रभावित होते हैं । जिसमें 0-10 व्यास श्रेणी के 14 पौध जो वृक्षों की सूची के साथ टिप्पणी में अंकित किये गये हैं । पार्ट-II में **20 वृक्ष अंकित किये गये हैं।**

6- Site Inspection Report Column 5.4 and 5.5 पुनः Upload कर दी गई है ।

7- **बिन्दु न0 5 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग वन पंचायत भूमि में प्रस्तावित किया गया है जिसकी कोई कार्ययोजना नहीं है** तथा पार्ट 2 के बिन्दु नं0 12 के क्रम में अवगत कराना है कि Processing Form(Part-II)(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests) के बिन्दु संख्या 6 में Detail of violation (s),if any, committed: में सूचना No प्रविष्टि की गयी है किन्तु पार्ट नं0 2 के बिन्दु संख्या 12 में प्रविष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि बिन्दु संख्या 12 का कालम Processing Form(Part-II) (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests) में नहीं है। पार्ट नं0 2 के बिन्दु संख्या 12 की सूचना नहीं(NO) समझी जाए।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल का पत्र मय संलग्नक के संलग्नक किया जा रहा है ।

संलग्नक- यथोपरि ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल ।

पत्रांक / उपरलिखित ।

प्रतिलिपि निम्न लिखितों को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून ।

2- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
PDF Complete Documents

कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

पत्र संख्या 798 /13–1 दिनांक, नैनीताल, 14/10/2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– घुघुखान सौड़ मार्ग एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण **(प्रस्ताव संख्या 9093/2015)**।

संदर्भः– आपकी ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 28.09.2015।

महोदय,

उक्त विषयगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपकी ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 28.09.2015 द्वारा उठाये गये समस्त 6 बिन्दुओं पर प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक 1017/13–1 दिनांक 12.10.2015 से स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रभागीय वनाधिकारी के इस पत्र की प्रति संलग्न है। कृपया अवलोकन कर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

14/10

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, नैनीताल।